



पत्र सं: 226

/ M-13 / 11

दिनांक: 20.01.25

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत टेकेदारों से ई-निविदाएं टू-बिड पद्धति पर दिनांक-24.02.2025 को 3:00 बजे तक <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी तकनीकी बिड्स दिनांक-24.02.2025 को अपराह्न 3:30 बजे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। कार्य की मात्राएं बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होंगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संबन्धित खण्ड का नाम
1.	वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ के सेक्टर-20बी में 9 मीटर व 12 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कों (नान-बिटुमिनस) का निर्माण कार्य।	303.27	6.07	6000.00 + GST (18%)	(टू-बिड) 09 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ-01
2.	अवस्थापना निधि के अंतर्गत वृन्दावन योजना लखनऊ (सेक्टर-8) में शहीद पथ के किनारे 5.50 मी0 चौड़ी सर्विस रोड का सुधार/निर्माण कार्य।	70.74	1.42	3000.00 + GST (18%)	(टू-बिड) 05 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ-04
3.	वृन्दावन योजना सं0-4 लखनऊ के सेक्टर-18 में स्थित ग्राम बाबूखेड़ा में आन्तरिक सीवर लाइन बिछाने एवं सीवर कनेक्शन का कार्य।	166.78	3.34	4500.00 + GST (18%)	(टू-बिड) 06 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ-04
4.	वृन्दावन योजना सं0-4 लखनऊ के सेक्टर-19सी में आन्तरिक सीवर लाइन बिछाने एवं भूखण्डों में सीवर कनेक्शन का कार्य।	181.24	3.62	4500.00 + GST (18%)	(टू-बिड) 06 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ-05
5.	वृन्दावन योजना सं0-4 लखनऊ के सेक्टर-19सी में ड्रेन एवं क्लवर्ट का कार्य।	94.91	1.90	3000.00 + GST (18%)	(टू-बिड) 06 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ-05

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 21.01.2025	ई-निविदा :- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS/NEFT/ONLINE के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व निर्धारित खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वॉछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है - क्रम सं0 1 पर अंकित कार्यो हेतु (निर्माण खण्ड लखनऊ-01) Name of A/C Holder - EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION LUCKNOW 01, UPVP LUCKNOW A/C No. - 730901000155 IFSC Code No. ICIC0007309 Name of Bank- ICICI Bank, Sanjar Gold, Sector-2D, Vrindavan Colony, Lucknow.
निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि	दिनांक 25.01.2025	
निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 25.01.2025 को अपराह्न 3:00 बजे से दिनांक 24.02.2025 अपराह्न 03:00 बजे तक	

क्रमश:2/-

बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 25.01.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे से दिनांक 24.02.2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक	क्रमांक-2 व 3 के कार्य हेतु (निर्माण खण्ड लखनऊ-04) 1- Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-04, U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW A/C No. 681510110001374 IFSC Code No. BKID0006815 Name of Bank-Bank of India, Subhani Khera, Lucknow
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	दिनांक 24.02.2025 अपरान्ह 3:30 बजे	क्रमांक-4 व 5 के कार्य हेतु (निर्माण खण्ड लखनऊ-05) 2- Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-05,U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW A/C No. 595702010002965 IFSC Code No. UBIN0559571 Name of Bank-Union Bank Of India, Ashiyana Branch, Lucknow
वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय	तकनीकी बिड के परीक्षणोंपरान्त वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर सूचित की जाएगी।	

नियम व शर्तें

- 1- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित RTGS/NEFT के यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा।
- 2- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- 3- परिषद में उपर्युक्त कार्य हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी निविदादाताओं की ही निविदायें मान्य होंगी तथा अन्य निविदादाताओं की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा एवं मर्दों में परिवर्तन किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें, बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 5- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 10/- के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- 6- निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।
- 7- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 8- निविदादाता/फर्म द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 9- निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0, आयकर एवं श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
- 10- बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
- 11- ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक बीजक के साथ उपभोग की गई सामग्री की समान मात्रा में रायल्टी प्रपत्र(MM-11) प्रस्तुत करना होगा जांच के दौरान अवैध/फोटोप्रति पाये जाने पर नियमानुसार कटौती कर धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा की जायेगी।

क्रमशः3 / -

- 12- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- 13- क्रम सं० 1 से 5 पर अंकित कार्य का निर्माण करते समय जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा जिस हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं यातायात डाइवर्जन हेतु आने वाले व्यय को ई-निविदादाता द्वारा स्वयं वहन करने हेतु शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 14- क्रम सं० 1 से 5 पर अंकित कार्य हेतु ई-निविदादाता/फर्मों को कार्य होने से पूर्व, कार्य कराते समय एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त फोटोग्राफी/विडियोग्राफी ई-निविदादाता द्वारा अपने व्यय पर कराकर विभाग को उपलब्ध कराने का शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 15- क्रम सं० 1 से 5 पर अंकित कार्य हेतु ई-निविदादाता/फर्मों को कार्य कराते समय वर्तमान में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं (जलापूर्ति/सीवर/विद्युत आपूर्ति) के क्षतिग्रस्त होने पर अपने व्यय पर मरम्मत कराने का शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 16- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिल्टी अवधि तीन वर्ष होगी। इस हेतु 1.00 प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
- 17- समस्त कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग/उ०प्र० जल निगम/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
- 18- जी०पी०डब्लू०-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
- 19- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की साप्ताहिक प्रगति निर्धारित साप्ताहिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक सप्ताह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले सप्ताह के अन्त तक निर्धारित कम्प्लेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
- 20- शासनादेश संख्या 622/2372-12-2012-2 ऑडिट/08टी०सी०-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (म०) के पत्रांक 4196/निविदा/18 दिनांक 14.09.2018 एवं 3451/निविदा/2023 दिनांक 20.10.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलों (Below) दर निविदा के मामले में वॉछित परफार्मेन्स गारन्टी की धनराशि एल-1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- 21- क्रम सं०-1 पर अंकित कार्य हेतु निविदादाता/फर्म को उक्त कार्य हेतु मिट्टी भराई कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा आवश्यक मशीनरी सम्बन्धी स्वामित्व/उपलब्धता प्रपत्र एवं शपथ पत्र अपलोड करने पर ही निविदा अनुमन्य होगी।
- 22- क्रम सं०-2 से 5 पर अंकित कार्य हेतु निविदादाता/फर्म को समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवश्यक मशीनरी सम्बन्धी स्वामित्व/उपलब्धता प्रपत्र तथा शपथ पत्र अपलोड करने पर ही निविदा अनुमन्य होगी।
- 23- शासनादेश संख्या 622/2372-12-2012-2 ऑडिट/08टी०सी०-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी०ओ०क्यू० की दरों से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफार्मेन्स धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी-
- (क) 10% Below तक दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
- (ख) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
- 24- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
- 25- क्रम सं०-1 से 5 पर अंकित कार्य हेतु यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण किल्यरेन्स (संबन्धित विभाग से) आदि ई-निविदादाता/फर्म द्वारा अपने व्यय पर परिषद के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा जिस हेतु शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करने पर ई-निविदा मान्य की जाएगी।
- 26- क्रम सं० 1, 3, 4 व 5 पर अंकित कार्य परिषद योजना की भूमि पर कराये जाने हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदादाता द्वारा सम्बन्धित विभाग/प्रशासन से सम्पर्क कर परिषद का सहयोग प्राप्त करके विवाद का निस्तारण कराते हुये समयान्तर्गत कार्य कराये जाने का शपथ पत्र निविदा में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- 27- क्रम सं० 1 पर अंकित कार्य के अन्तर्गत मिट्टी भराई कार्य हेतु ई-निविदादाता द्वारा नियमानुसार खनन विभाग/जिलाधिकारी, लखनऊ से निविदादाता को अपने व्यय पर अनुमति प्राप्त करके कराया जाना होगा, जिसका शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।



- 28- क्रम सं० 1 पर अंकित कार्य हेतु ई-निविदादाता द्वारा मिट्टी भराई हेतु बाहर से लायी जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता निर्माण कार्य हेतु उपर्युक्त हो एवं मिट्टी दीमक एवं सॉल्ट पीटर रहित हो का शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 29- उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 30- एन०जी०टी० सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 31- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।


(इ० डी०के० गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता

पु०सं० 226 / M-13 / 111 दिनांक- 20.01.25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (म०), उ०प्र०. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता-अवध विहार/लखनऊ/अयोध्या/बागपत/बुंदेलखण्ड/गाजियाबाद वृत्त/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर/मेरठ/प्रयागराज/रुहेलखण्ड/विद्युत वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-1/2/4/5, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
- 4- इंचार्ज,कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- सहायक अभियन्ता (तक०), वृन्दावन वृत्त, लखनऊ।
- 6- नोटिस बोर्ड।


अधीक्षण अभियन्ता